राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या–विविध 80–01 / 2022-2578

प्रेषक,

संजय कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत / नगरपालिका)
–सह– जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 12/6/24

विषय :– माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में उपस्थित होने वाले पदाधिकारियों के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग कार्यालय का पत्रांक–1397 दिनांक–07.04.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि **बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–135 एवं धारा 136 तथा बिहार नगरापालिका अधिनियम, 2007 की धारा–475 एवं धारा–18 के तहत अभ्यर्थियों एवं निर्वाचित पदधारकों हेतु योग्यता / अयोग्यता से संबंधित दिये गये प्रावधान का मूल उद्देश्य सुयोग्य व्यक्तियों के निर्वाचन को सुनिश्चित करना है। उक्त प्रावधानों में ऐसी भावना निहित है कि यदि कोई व्यक्ति छल–कपट या अन्य गैर विधिक माध्यम से पद को प्राप्त कर ले, तो उसे पदच्युत किया जा सके। इस हेतु ऐसे मामलों के संज्ञान में आने के उपरान्त इसका त्वरित निष्पादन उक्त अधिनियमों के मूल भावना में अन्तर्निहित है।** अतः मामले के निष्पादन में विलम्ब न हो तथा इसकी संवेदनशीलता जिला प्रशासन के स्तर पर समझी जाए, आयोग द्वारा प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से आयोग के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पदाधिकारियों को आपका पक्ष रखने के लिए प्राधिकृत करने का दिशा निर्देश निर्गत किया गया था, जिसमें पंचायत संबंधी मामलों हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं नगरपालिका से संबंधित मामलों हेतु नगरपालिका के जिला स्तरीय प्रभारी पदाधिकारी को प्राधिकृत करने का निदेश दिया गया था। अपरिहार्य स्थिति में जिला स्तरीय पदाधिकारी को प्राधिकृत करने का आदेश था, परन्तु प्राधिकार पत्र में उक्त पदाधिकारियों के अनुपस्थित रहने का कारण अंकित करना अनिवार्य था।

आयोग के उक्त आदेश के बावजूद अनेक जिलों द्वारा प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षकीय पद पर कार्यरत पदाधिकारियों अथवा जिला स्तर के कनीय पदाधिकारियों को प्राधिकृत कर आयोग के सुनवाई में उपस्थिति हेतु भेजा जा रहा है, जो वास्तव में आयोग के निदेश एवं स्थापित प्रोटोकॉल के विरूद्ध है। **ज्ञातव्य हो कि प्राधिकृत पदाधिकारी सुनवाई के समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत / नगरपालिका) का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी का स्तर जिला पदाधिकारी के स्तर से बहुत ही कम रहने पर विषय की गंभीरता एवं संवेदनशीलता की समझ में काफी कमी आ जाती है।**

आयोग द्वारा समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि आयोग के आदेश के बावजूद कनीय पदाधिकारियों अथवा पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का एक प्रमुख कारण जिला पंचायत राज पदाधिकारी अथवा नगरपालिका के जिला स्तर के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा अपने स्थान पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को आपके द्वारा प्राधिकृत करा दिया जाता है। संभवतः ऐसे पदाधिकारियों के पदीय दायित्व एवं जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति/अभिवृत्ति के कारण होता है।

उक्त वर्णित स्थिति में पुनः आदेश दिया जाता है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार ही पंचायत के मामलों में जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं नगरपालिका के मामले में जिला स्तरीय प्रभारी पदाधिकारी (नगरपालिका) को ही आयोग के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत किया जाए।

आयोग के उक्त आदेश का अनुपालन यदि नहीं होता है, तो प्रथम दृष्टया यह माना जाएगा कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी/ जिला स्तरीय प्रभारी पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा आपको अनुचित सलाह दे कर किसी कनीय अथवा अधीनस्थ पदाधिकारी को प्राधिकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं करने का दोषी माना जाएगा तथा इस संबंध में कार्रवाई की अनुशंसा उनके पैतृक विभाग को की जाएगी।

यदि आयोग का उक्त आदेश लगातार या अधिकांश मामलों में आपके स्तर से अनुपालित नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे गंभीर विषय वस्तु के प्रति जिला के शीर्षस्थ पदाधिकारी असंवेदनशील है।

कृपया उक्त आदेश को स्थायी आदेश के रूप में समझा जाए तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अपने स्तर से इस आदेश की प्रति जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा जिला स्तरीय प्रभारी पदाधिकारी (नगरपालिका) को प्रेषित कर दी जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

12/6/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।